Sr 3
21/8/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Miscellaneous Jurisdiction)
M J C. No. of 2014
(Arising out of C.W.J.C. of 2007)

Dr. Upendra Yadav .... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others ..... Opposite Party

Sub:-Contempt Application

INDEX

S. No	Description	Page Nos.
1	A contempt application with affidavit on behalf of the petitioner	01 to 07
2	Annexure-P1 True-copy of the order dated 5-8-8 passed in CWJC 4222 of 2008	08 to 10
3	Annexure-P2 True-copy of the inspection-report recommending affiliation	~~10 to 15~~ 11-20
4	Annexure-P3 Series True-copy of the affiliation granted to other similar colleges	~~16 to~~ 20 21-22
5	Annexure-P4 True-copy of Board 's order dt.23.8.11 granting affiliation in contempt	~~21 to~~ 23
6	VAKALATNAMA	

6. That it would be indeed essential to bring to the notice of this Hon'ble Court certain facts and developments in the matter that would help appreciate the discriminatory actions exposing the contemptuous and contumacious approach of the opposite parties as against the petitioner and the petitioner's college.

7. That the opposite parties got the petitioner's college inspected by a committee that found things in order and hence recommended permanent affiliation for the college of the rural background way back on 16.03.2007 itself. In such situation, grant of affiliation to the petitioner's college was the only logical step needed in the case.

True-copy of the inspection-report dated 16.03.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-P2.

8. That it is submitted at the outset that the opposite parties nos. 2 & 3 have been delaying the grant of affiliation to the petitioner's college for some ulterior purposes alone. The same becomes explicit in their granting affiliation to several exactly similarly situated colleges Lahtan Chaudhary Inter College Saharsa, Ramanand Yadav Inter College Siwan, Basant Inter College Siwan and C.B.I.College Siwan to name a few. Copies of letters granting affiliation to some of these colleges the

AFFIDAVIT

I, Dr. Upendra Yadav aged 55 yrs. son of Late Dhutner Prasad Yadav Resident of Village : Chikmifulkaha, P.S. : Gamharia, District : Madhepura do hereby solemnly affirm and state as follows :

1. That I am myself the petitioner of the present contempt application and as such am well aware of the facts of the present case.
2. That the contents of the present application have been read and understood by me and I testify them all to be true to the best of my knowledge and belief.
3. That the annexure enclosed are true to the respective originals.

upendra yadav

(6) (11)

Annexure-2

(5) 19

निरीक्षण प्रतिवेदन

(1) महाविद्यालय का नाम:- डॉ0 नारायणी उपेन्द्र यादव इंटर कॉलेज, फुलकाहा मधेपुरा ।

(2) निरीक्षणकर्त्ता :- 1. श्री श्याम नारायण कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक - संयोजक कोशी प्रमंडल, सहरसा ।

2. डॉ0 हेमचन्द्र कुमार, प्राचार्य, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय- सदस्य मधेपुरा ।

(3) निरीक्षण की तिथि:- 1-3-2007

(4) निरीक्षण प्रतिवेदन:- सचिव बिहार इन्टर मीडिएट शिक्षा परिषद, पटना के ज्ञापांक बी॰आई॰इ॰सी॰/679/06 दिनांक 20-12-2006 का पत्र ।

दिनांक 1-3-2007 को डॉ0 नारायणी उपेन्द्र यादव इंटर कॉलेज, परती देवी पथ- धुरर नगर फुलकाहा (मधेपुरा) का अधोहस्ताक्षरी एवं डॉ0 हेमचन्द्र कुमार प्राचार्य, पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा द्वारा संयुक्त रूप से उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया । महाविद्यालय की स्थापना 15-8-1983 ई0 को हुई है जैसा कि महाविद्यालय के अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है ।

श्री उपेन्द्र नारायण यादव सचिव है, जो काफी प्रतिष्ठित लोकप्रिय एवं शिक्षित है, जो इस महाविद्यालय के विकास के दृष्टिकोण से एक अच्छी बात कही जा सकती है इन्होने इस महाविद्यालय के प्रथम निरीक्षण शुल्क मो0 1000=00 (एक हजार) रसीद सं0- 53427 के द्वारा दिनांक 3-4-84 को जमा किया है तथा द्वितीय निरीक्षण शुल्क मो0 10,000=00 (दस हजार) रूपये की राशि रसीद सं0- 3087947 के द्वारा दिनांक 17-8-06 को जमा किया है जिसके प्रमाण की छाया प्रति प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक "ए" "एक बी" संलग्न है । तदोपरांत बिहार इन्टर मिडिएट शिक्षा परिषद पटना द्वारा इस इन्टर महाविद्यालय का निरीक्षण हेतु विधिवत निरीक्षण दल का गठन किया है । विदित हो कि निरीक्षण दल के एक सदस्य विभागाध्यक्ष टी॰ पी॰ कॉलेज मधेपुरा के अनुपस्थित रहने के कारण

(क्र0 पृ0 उ0)

12

20 (6)

डॉ0 हेमचन्द्र कुमार प्राचार्य पार्वती विज्ञान महाविद्यालय, मधेपुरा के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया गया ।

यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है जो बैजनाथपुर लिटियाही पक्की रोड पर अवस्थित है । यह इस माने यह इलाका शिक्षा तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ा है जहाँ पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं हरिजन जाति की संख्या अधिक है । इस पिछड़े इलाके में बाहुल्य छात्र- छात्राओं को पढ़ने की अभिरुचि है जैसा उपस्थित अभिलेख को अभिभावकों द्वारा निरीक्षण के समय स्पष्ट हुआ इस महाविद्यालय की स्थापना के कुछ वर्षों के बाद इन्टर महाविद्यालय जीवछपुर घैलाढ़ जिसकी दूरी इस महाविद्यालय से 4 कि.मी. की दूरी पर है का स्थापना किया गया है ।

इस महाविद्यालय के आसपास करीब एक दर्जन उच्च विद्यालय है । उच्च विद्यालय की सूची अनुलग्नक "डी" है । जहाँ उत्तीर्ण छात्र एवं छात्रा-ओं की संख्या काफी रहती है । इस महाविद्यालय के सत्र 05-07 के छात्रों एवं छात्राओं के नामांकन पंजी के उपस्थिति पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सत्र 2005-2007 में छात्रों एवं छात्राओं की कला एवं विज्ञान संकाय में कुल संख्या 768 दर्ज है । जिसका विस्तृत विवरण संलग्न है ।

ज्ञातव्य है कि यह महाविद्यालय बिहार इन्टर मिडिएट शिक्षा परिषद पटना के नियमावली 1994 के शर्तों सुरक्षित कोष की अन्य शर्तों को पूर्ति नहीं करने के कारण छात्रों सत्र 2004-2006 के अवधि विस्तार को रोका गया था जिस कारण 2004-06 में छात्रों का सूचीकरण एवं परीक्षा प्रपत्र शुल्क परिषद में नहीं स्वीकार किया है । ज्ञातव्य है कि बिहार इन्टर मिडिएट शिक्षा परिषद पटना ने इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं का सत्र 2005-07 का सूचीकरण प्रपत्र शुल्क एवं परीक्षा प्रपत्र शुल्क स्वीकार किया है तथा यह महाविद्यालय सत्र 2006-08 के छात्र- छात्राओं के नामांकन महा-विद्यालय में नामांकन कर पठन- पाठन नियमित रूप से कर रहा है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में डॉ0 नारायणी उपेन्द्र यादव इन्टर महाविद्यालय, पार्वती देवी पथ- धुमर नगर फुलकाहा (मधेपुरा) का स्थाई प्रस्वीकृति दी जा सकती है । महाविद्यालय के निरीक्षण के क्रम में

मुख्य बिन्दु:-

भूमि:-

इस महाविद्यालय को विभिन्न दाताओं ने 8 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम से निबंधित कर दिया है ।

में छात्रों कला में संख्या 384 है तथा विज्ञान में छात्रों की संख्या 384 है । बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद में छात्रों कला एवं विज्ञान में सूचीकरण प्रपत्र समुक्त 768 छात्रों का जमा किया है ।

सम्प्रति वर्त्तमान सत्र 2006-08 के नामांकन पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि छात्रों की संख्या-768 है ।

संकाय-	छात्र संख्या
कला-	384
विज्ञान-	384
कुल-	768

इस महाविद्यालय कला एवं विज्ञान संकायों के सत्र 2005-07 में परीक्षा प्रपत्र समुक्त परिषद में कला के छात्रों की संख्या 262 एवं विज्ञान संकाय में 320 है । परिषद का परीक्षा विभाग का पत्र की छाया प्रतिलिपि अनुलग्नक "एम" संलग्न है ।

प्रभारी प्राचार्य का निवास:-

तत्काल प्रभारी प्राचार्य किराये के मकान में दो कमरा में निवास कर रहे है । किराया का मकान अरुण कुमार यादव का है, किरायानामा पत्र का छायाप्रतिलिपि अनुलग्नक "एन" संलग्न है । इस महाविद्यालय के सचिव एवं अनेकानेक सम्मान्य शिक्षा प्रेमी नागरिकों ने मिलकर आश्वासन दिया कि शीघ्र ही प्रभारी प्राचार्य के निवास का भवन अपने महाविद्यालय के भूमि में पक्का मकान बना देंगे ।

छात्रावास-

इस महाविद्यालय के छात्रों का छात्रावास किराये के मकान में चल रहा है जिसमें 7 कमरा है जहाँ 30 छात्र छात्रावास में रहता है जो किराया का मकान श्री अरुण कुमार यादव का है, किरायानामा पत्र का छाया प्रतिलिपि अनुलग्नक "ओ" संलग्न है । महाविद्यालय के सचिव एवं शासी निकाय के सदस्यों

क्रमशः ...

ने कहा कि छात्रों का छात्रावास अपने महाविद्यालय के भूखण्ड में बनाने की योजना है :-

उपस्कर:-

बैंच-	50
डेस्क-	50
कुर्सी-	25
टेबुल	12
लोंग टेबुल	05
आलमारियाँ-	05
केरम बोर्ड-	02
कुदाली-	02
बॉल्टी-	02
जग-	02
स्टील ग्लास	10
थुर्पा	05
नेट-	01
भोली बाल-	02
घंटी	01
स्टूल	10
श्यामपट्ट	05
लेम्पर टेबुल-	08
लालटेन-	02
चापाकल-	02
दिवाल घड़ी	02
गेस लाईट-	02

सचिव ने उपरोक्त दाताओं के सम्बन्ध में दान दी गयी राशि का जिक्र किया तथा सचिव के द्वारा अभिप्रमाणित प्रतिलिपि "क्यू" संलग्न है ।

व्याख्याताओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों-

इस महाविद्यालयों में सभी विषयों में कार्यरत व्याख्याता है और कार्यरत व्याख्याताओं तथा शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक "आर" संलग्न है तथा विज्ञापन की छाया प्रति अनुलग्नक "एस" संलग्न है ।

उक्त वर्णित आधार पर यह निष्कर्ष सहज हीं मिलता है कि इस महाविद्यालय की स्थाई प्रस्वीकृति की सार्थकता है । महाविद्यालय के निकटवर्ती हीं बारह पोषक उच्च विद्यालय हैं और प्रत्येक उच्च विद्यालय से बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले छात्र- छात्राओं की संख्या काफी संतोष प्रद रहती है । और अर्थाभाव के कारण स्थाई प्रस्वीकृति मिलने (प्रत्याशा में) 15- अगस्त 1983 ई० से स्थापित है ।

:- खेल का मैदान एवं खेलकूद की उचित सामग्री:-

इस महाविद्यालय के पश्चिम दिशा में खेल का मैदान है तथा महाविद्यालय में खेल - कूद सामग्री पर्याप्त मात्रा में देखी गयी जो जो अच्छी स्थिति में थी । प्रमाणक प्रतिवेदन अनुलग्नक " संलग्न है

निष्कर्ष:- निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय में उपलब्ध सामग्रियो, शैक्षिक सुव्यवस्था, भवन, उपस्कर, प्रयोगशाला तथा खेल सामग्री आदि के साथ सामान्य स्थानीय लोगों एवं अभिभावकों द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर उक्त महाविद्यालय की आवश्यकता बताये [illegible] एवं अनिवार्यता से निरीक्षण दल संतुष्ट है तथा बिहार इन्टर [illegible] शिक्षा परिषद पटना से अनुरोध किया जाता है कि [illegible]

28 (14)

जिला के ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित इस महाविद्यालय को बिना शर्त्त स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्रवाई की जाय।

16/3/07

(डा० हेमचन्द्र कुमार)
प्राचार्य,
पार्वती विज्ञान महाविद्यालय,
मधेपुरा।

(श्री श्याम नारायण कुंवर)
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक,
कोशी प्रमंडल, सहरसा
सह-
संयोजक निरीक्षण दल

ज्ञापांक:- 37(07) सहरसा दिनांक 16 मार्च 2007

प्रतिलिपि:- सचिव बिहार इन्टर मिडियट शिक्षा परिषद बिहार, पटना के ज्ञापांक 1679/06 दिनांक 20-12-06 के आलोक में सभी अनुलग्नकों के साथ समर्पित।

16/3/07

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

(22)

ANNEXURE- [illegible] (16)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, (उच्च माध्यमिक), बुद्ध मार्ग, पटना

पत्रांक BSEB(SS)Co-Estd/6/398/D-08 पटना, दिनांक 7/05/08

प्रेषक

रघुवंश कुमार
निदेशक (शैक्षणिक)

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य
रामानन्द यादव इन्टर महाविद्यालय
सुल्तानपुर, आन्दर,
सीवान ।

विषय :— **रामानन्द यादव इंटर महाविद्यालय सुल्तानपुर आन्दर, सीवान का प्रस्वीकृति पूर्नवहाली के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् के पत्रांक 301/Coll.Estd/AS/98 दिनांक 29.10.98 के द्वारा महाविद्यालय को दी गयी तीनों संकायों में प्रस्वीकृति पत्रांक BIEC/Coll.Estd/1722/04 दिनांक 07.08.04 के द्वारा वापस ले लिया गया था । परिषद् विज्ञप्ति संख्या 31/2005, 32/2005, 41/2005 के आलोक में निर्धारित शर्तों की प्रतिपूर्ति किये जाने संबंधि महाविद्यालय से प्राप्त सूचना एवं निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का कराए गए निरीक्षण के आलोक में प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् (निरसन) अधिनियम की धारा 07 के अन्तर्गत विचार करते हुए बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् नियमावली 1994 की धारा 07 (018) के अध्यधीन शर्तों के अन्तर्गत सत्र 07–09 से तीन सत्रों के लिए पूर्ण वित्तीय भार रहित प्रस्वीकृति पूर्नबहाल की जाती है । परन्तु पूर्नबहाली के प्रति राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश या सूचना प्राप्त होती है तो इसपर पूणःविचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

ज्ञापांक BSEB(SS)Co-Estd/6/399/D-08 पटना, दिनांक 7/05/08

प्रतिलिपि :— 1. प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग बिहार पटना ।
2. निदेशक (मा० शि०) मानव संसाधन विकास विभाग, विकास भवन, पटना ।
3. जिला पदाधिकारी, सीवान ।
4. अध्यक्ष / सचिव (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक) के निजि सहायक को उनके सूचनार्थ ।
5. उपसचिव परीक्षा एवं सूचीकरण कोषांग / [illegible] प्रकोष्ठ एवं सभी सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ

[illegible]

23

17

ANNEXURE 5

Annexure B3

CWJC - 5981/2004

31

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0) बुद्ध मार्ग, पटना

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 नं0–9627/10 में दिनांक–30.09.2010 को पारित आदेश एवं क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक मुजफ्फरपुर से महाविद्यालय की प्रस्वीकृति के संबंध में दिनांक–30.11.2010 को प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में श्री अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय मोतिहारी को सत्र 2011–13 से तीन सत्रों के लिए तीनो संकायों में सम्बद्धता उपविधि में अंकित प्रावधानों के अधीन तीन सेक्शन, प्रति सेक्शन 40 (चालीस) छात्र/छात्रा के साथ सम्बद्धन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है–

(i) कि महाविद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन अधिनियम–2007 अध्याय 'क' की धारा 10 (ग) के द्वितीय परन्तुक में वर्णित प्रावधान के अनुसार स्वंय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में पुर्नगठित एवं पुर्नमूल्यांकन कर लेगा ।

(ii) कि भविष्य में समिति द्वारा कराये गये जाँच में पाया जाता है कि विद्यालय सम्बद्धता उपविधि में अंकित शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा उल्लंघन किया है तो समिति द्वारा विद्यालय की सम्बद्धता वापस ली जा सकती है ।

सचिव

ज्ञापांक 0318(ss)/102/sc/11 पटना, दिनांक 23-08-11 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि :– (1) श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, पिता–स्व0 सफलदेव सिंह, मुहल्ला–चाँदमारी, थाना–मोतिहारी सदर, (मोतिहारी) को सूचनार्थ प्रेषित ।

(2) समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार मंडल जी को अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

Rs.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना

पत्रांक BSEB(SS) Co-Estab/385/2008 पटना, दिनांक 14/03/08

प्रेषक

रघुवंश कुमार
निदेशक (शैक्षणिक)

सेवा में,

सचिव
लहटन चौधरी इन्टर महाविद्यालय,
पस्तवार, बलुआहा, पो0 महिषी, सहरसा

विषयः–लहटन चौधरी इन्टर महाविद्यालय, पस्तवार बलुआहा, सहरसा का प्रस्वीकृति पुनर्बहाली के संबंध में ।

महाशय,

बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् पत्रांक–BIEC/581/A, दिनांक–01.04.91 के द्वारा महाविद्यालय को दी गयी तीनों संकायों में प्रस्वीकृति, जिसे ज्ञापांक–BIEC/Est/293/04 दिनांक–05.08.04 के द्वारा वापस ले लिया गया था परिषद् विज्ञप्ति संख्या–31/2005, 32/2005, 41/2005 के आलोक में निर्धारित शर्तों की प्रतिपूर्ति किये जाने सम्बन्धी महाविद्यालय से प्राप्त सूचना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद (निरसन) अधिनियम की धारा 07 के अन्तर्गत विचार करते हुए बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् नियमावली 1994 की धारा 7 (018) के उपबंधित शर्तों के अन्तर्गत सत्र 07--09 से तीन सत्रों के लिए पूर्ण वित्तीय भार रहित प्रस्वीकृति पुनर्बहाल की जाती है। परन्तु पुनर्बहाली के प्रति राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश या सूचना प्राप्त होती है तो उस पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

निदेशक (शैक्षणिक)

17

25 11

शिक्षण का विषय:- कला एवं विज्ञान

हिन्दी, मैथली, संस्कृत, उर्दू, परसीयन, अरबी, नेपाली, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भुगोल तर्कशास्त्र, गणित, गृहविज्ञान, संगीत, ग्रामीण अर्थशास्त्र, एवं सहकारिता, सांख्यिकी, भूगर्भशास्त्र, मानवशास्त्र, अंग्रेजी, श्रम एवं समाज कल्याण, रसायन शास्त्र, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान,।

ज्ञातव्य है कि बिहार इन्टर मीडियट शिक्षा परीषद पटना द्वारा अस्थाई प्रस्वीकृति में शिक्षण विषय अंकित है।

निकटवर्ती पोषक उच्च विद्यालय-

1- महंथ हरिहर उच्च विद्यालय रानीपोखर (फुलकाहा)
2- सियाराम उच्च विद्यालय योगबनी ।
3- दूर्गा उच्च विद्यालय लौकहा, ।
4- प्रस्तावित उच्च विद्यालय लौकहा
5- राजकीय उच्च विद्यालय गम्हरिया
6- दुर्गा भुवनेश्वरी उच्च विद्यालय हरदी
7- मोतीलाल कुसुमलाल उच्च विद्यालय पोखारा
8- उच्च विद्यालय हसनपुर
9- मोती उच्च विद्यालय भाउन टेंगी
10- पंच दधीची उच्च विद्यालय अमहा
11- कन्या उच्च विद्यालय ललराहा
12- परसमनी उच्च विद्यालय कमनी

प्रबंध समिति:-

इस महाविद्यालय की कार्यवाही पंजी का अवलोकन किया गया प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 15-8-83 ई0 के द्वारा श्री उपेन्द्र नारायण यादव को सचिव के पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। इस

महाविद्यालय के शासी निकाय ने सचिव को महाविद्यालय प्रस्वीकृति एवं अन्य कार्यों के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

वर्तमान में शासी निकाय के सदस्य इस प्रकार है :-

1- कमलेश्वरी प्रसाद यादव	अध्यक्ष
2- उपेन्द्र नारायण यादव-	सचिव
3- लक्ष्मी नारायण राय-	सदस्य
4- शिव नारायण यादव-	सदस्य
5- परमेश्वरी यादव-	सदस्य
6- श्रीमति नारायणी यादव	सदस्या
7- श्री जितेन्द्र यादव-	शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य
8- श्री मो0 आरिफ हुसैन-	प्रभारी प्राचार्य "

शासी निकाय का सूची अनुलग्न "पी" संलग्न है ।

दान - दाताओं के नाम एवं राशि के सम्बन्ध में -

महाविद्यालय में दान दिये गये दाताओं का नाम एवं दिये गये दान का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	दानदाताओं का नाम	दान दी गयी राशि
1-	श्री उपेन्द्र यादव	1. मकान मद में 70,000=00 (सत्तर हजार)
2-		2. जमीन दान अनुमानित राशि- 35,000 (पैंतीस हजार)
		105000

2- डा0 श्रीमति नारायणी यादव, नगद राशि- 42,000=00 (बेयालीस हजार)

3- लक्ष्मी ना0 राय जमीनदान अनुमानित राशि- 15,000 (पन्द्रह हजार)

4- परमेश्वरी प्र0 यादव, नगद [illegible] 5000 (पाँच हजार)

जमीन दो खण्डों में अवस्थित है जिसमें करीब 3.50 एकड़ भूखंड में महाविद्यालय का भवन, बाउण्डीवाल एवं परिसर अवस्थित हैं। जिसका खेसरा खाता निम्न प्रकार है :- खाता नं0- 191,286,42,2584,153 जिसका खेसरा नं0- 670,671,667,662,663 है। दूसरा भूखंड करीब 4 एकड़ में महाविद्यालय से थोड़ा दूरी पर अवस्थित है। महाविद्यालय में दानी द्वारा दी गयी भूमि का महाविद्यालय के पक्ष में अंचलाधिकारी द्वारा नामांतर स्वीकृति कर लिया गया है। निबंधित दान पत्र एवं रसीद की छाया प्रतिलिपि "इ अनुलग्नक "इ" के साथ संलग्न है।

भवन:-

यह महाविद्यालय अपने भवन में अवस्थित है। सम्प्रति भवन उपर खपरा (टीना) तथा नीचे पक्का है भवन का दूसरा खण्ड उपर टाईल्स तथा नीचे पक्का है जिसमें कुल 11 (ग्यारह) कमरे है। स्थिति इस प्रकार है एक कार्यालय, दूसरे में प्रधानाचार्य कक्ष, एवं तीसरे स्टाफ रूम का कार्य चल रहा है। रसायन शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला कक्ष सहित अन्य 4 अन्य कोठरियाँ वर्ग संचालन के लिए उपलब्ध है। जो पर्याप्त है। आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर महाविद्यालय को सुपुर्द करने का महाविद्यालय सचिव एवं शासी निकाय के सदस्यों ने आश्वासन दिया है। महाविद्यालय का पुराना एवं नया भवन का फोटो अनुलग्नक "एफ" इसके साथ संलग्न है।

सुरक्षित कोष की राशि (प्रस्वीकृति राशि)

इस महाविद्यालय ने बिहार इन्टर मीडिएट शिक्षा परिषद की नियमावली 1994 के शर्तों को कला एवं विज्ञान के लिए सुरक्षित कोष की राशि अतिरिक्त राशि 75000=00 (पचहत्तर हजार) रूपये रसीद नम्बर 3087948 दिनांक 17-8-06 को परिषद में जमा किया है रसीद का छाया प्रतिलिपि अनुलग्नक "जी" इसके साथ संलग्न है।

यह कि सूचित करना है चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय के द्वारा पूर्व में भी सुरक्षित कोष की राशि क्रमशः 50000=00 (पचास हजार) रूपये और 25000=00 (पच्चीस हजार) रूपये कुल मिलाकर 75000=00 (पचहत्तर हजार) [illegible]

अनुलग्नक "एच" संलग्न है। अतः वर्तमान समय में इस महाविद्यालय का सुरक्षित कोष की कुल राशि 1,50,000=00 {एक लाख पचास हजार} रूपये परिषद में जमा किया हु जा चुका है।

बैंक में खाता की स्थिति:-

इस महाविद्यालय का तीन खाता नं0- 01090/050045, 01090/ 050046, 01090/050047 जेनरल फण्ड, डेवलपमेंट फण्ड, छात्र फण्ड है जिसमें 30 हजार रूपये जमा है अनुलग्नक "आई" संलग्न है।

पुस्तकालय:-

इस महाविद्यालय के रजिस्टर की जाँच की गयी जिसमें पता चला कि पुस्कालय में कुल पुस्तकें की संख्या 1041 है जिसके मूल्य 1,02,955=25 रूपये हैं। पुस्तकालय में निम्नलिखित संकायों में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या सूची:-

संकाय पुस्तकों की संख्या :

कला-	780
विज्ञान-	261

कुल- 1041 पुस्तकें उपलब्ध हैं। उपलब्ध पुस्तकें अवलोकनार्थ से पता चलता है कि उसमें से अधिकांश पुस्तकें इन्टरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी हैं। पुस्तक रसीद की प्रतिलिपि अनुलग्नक - "जे" संलग्न है।

प्रयोगशाला:-

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में अस्थाई प्रस्वीकृति इस महाविद्यालय में मिला था इस महाविद्यालय में विज्ञान संकायों में प्रयोग की सामग्री मूल्य रसीद का छाया प्रतिलिपि अनुलग्नक "के" संलग्न है। कला संकाय में प्रयोगशाला में सामग्री उपलब्ध है प्रतिलिपि अनुलग्नक एल." संलग्न है। विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री मूल्य 119815=00 (एक लाख उन्नीस हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये मात्र)। प्रयोगशाला के लिए गैस एवं जलापूर्ति की व्यवस्था है।

नामांकन:-

नामांकन पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि सत्र 2005-07

(9)

certificates have been issued through the Institution from where they had appeared in the examination.

Learned counsel for the petitioners submits that the results of the students ought to have been sent to the petitioner Institution for distribution to the students.

However, since the petitioner Institution did not enjoy affiliation, the Bihar School Examination Board (Higher Secondary) could not take cognizance of existence of this Institution, and therefore, no fault can be found in the issue of marksheets and provisional certificates of the students to the Institution through which the students had appeared in the examination.

WEB COPY NOT OFFICIAL

Learned counsel for the petitioners submits that the inspection report ought to have been considered by the Board and final decision ought to have been taken in the matter of grant of affiliation to the Institution.

It goes without saying that if necessary inspection and enquiry with regard to the petitioner Institution has been made in accordance with law, the Board is obliged to

petitioner could lay his hands on are being annexed here for quick reference.

True-copies of the letters granting affiliation to some of the similarly situated colleges are annexed herewith & marked as Annexure-P3 Series.

9. That in a contempt application M.J.C.790/11 filed by Shri Anugrah Narayan Singh Inter College Motihari, this Hon'ble Court intervened in an almost exactly similar situation and these very opposite parties granted affiliation to that college vide Memo No. GIEC/Call-Estb/74/04 dated 23.08.2011. The petitioner submits before the Hon'ble Court with full sense of responsibility that the case of the petitioner's college is clearly on a better footing and in the situation, the opposite parties are guilty of contempt of a clear direction of the order of this Hon'ble Court deserving punishment.

True-copy of a recent affiliation granted dated 23.08.2011 in contempt matter to a similarly situated college is annexed herewith & marked as Annexure-P4.

10. That equality before law is a cardinal principle of justice and the petitioner invokes the same bringing forth the contumacious approach of the opposite parties and imploring this Hon'ble Court to take punitive

steps against them in order to uphold its majesty. The same would be subservient to the interest of justice.

11. That the opposite parties are also guilty of contempt of order dated 9.2.2011 passed in the earlier contempt matter filed by this very petitioner directing them to file within four weeks a show-cause giving reason for delay, but of no avail.

12. That the petitioner and the college-in-question would suffer irreparable loss and injury if the contempt is not granted and the O.P.s are not punished in accordance with law.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(Civil Miscellaneous Jurisdiction)
M.J.C. No. of 2014
(Arising out of C.W.J.C.No.4222 of 2008)

In the matter of an application for contempt U/S 12 (1) c of the Contempt of Courts Act

A N D

In the matter of

Dr. Upendra Yadav S/O Late Dhutner Prasad Yadav
Resident of Village : Chikmifulkaha, P.S. : Gamharia,
District : Madhepura..... .....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Mr. Anjani Kumar Singh son of not known I The Chief Secretary, Government of Bihar, Patna
2. Mr. Suresh Chaudhary son of not known, the District Education Officer, Madhepura
3. Mr. Niwas Chandra Tiwary son of not known, the present Chairman, Bihar School Examination Board, Budh Marg, Patna.
4. Mr. Ashutosh Kumar son of not known
The present Secretary, Bihar School Examination Board,
Budh Marg, Patna.....Opposite Party

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna & other Hon'ble Justices of the said Court

The humble application for contempt on behalf of the sole petitioner above-named .

Most Respectfully Sheweth :

1. That the present application is being filed for initiation of contempt for deliberate disobedience of the order dated 05.08.2008 passed in C.W.J.C. No.4222 of 2008 by Hon'ble Mr. Justice J.N.Singh.

2. That the petitioner had earlier filed a contempt application before this court for the relief prayed hereunder vide M.J.C. No.1909 of 2010 which stood dismissed in default on 08.12.2011 by Hon'ble Mr. Justice J.N.Singh as the sole counsel for the petitioner did not appear before the Hon'ble Court and the same divulged to the petitioner recently.

3. That vide an order dated 05.08.2008 passed in C.W.J.C.No.4222 of 2008, this Hon'ble Court had directed the opposite parties to consider the grant of affiliation to the petitioner's college within a period of six months---- a plain perusal of the order speaks for itself. However, times without number, the petitioner has been approaching the opposite parties in general and the O.P.No.3 in particular but the opposite parties have chosen to sit tight over the matter for no justifiable reasons

True-copy of the order dated 16.03.2009 passed in C.W.J.C.No. 4222 of 2008 is annexed herewith and marked as Annexure-P1.

4. That the order aforesaid passed by the Hon'ble Court was made known to the O.Ps. through the learned counsels in whose presence the same was passed in open court; through the representation given by the petitioner alongwith a copy of the order; through the service of the earlier contempt-petition & supplementary-affidavit on the learned counsel for the Board; through the court-proceedings in the earlier contempt matter; so on and so forth. Thus, the opposite parties can not feign ignorance of the order of the Hon'ble Court the contempt whereof is being alleged herewith.

5. That for the purposes of grant of affiliation to the petitioner's college, there was an inspection carried out in the petitioner's college by an inspection-team duly constituted by the opposite parties themselves and things were found satisfactory as would be evident from a report thereof. However, despite the inspection-report being okay, the contemnors-opposite parties have chosen not to consider the grant of affiliation to the petitioner's college acting in gross contempt of the order of this Hon'ble Court.